वैश्वीकरण की अवधारणा : एक अध्ययन

डॉ. स्वाति कुमारी
विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग,
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

प्रस्तावना

वैश्वीकरण शब्द के निर्माण का श्रेय अर्थशास्त्री थ्योडोर लेविड को दिया जाता है यह माना जाता है कि उन्होंने अपने लेख ''बाजारों का वैश्वीकरण'' (1983) में इसका इस्तेमाल किया। वास्तविकता यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल उससे पहले भी हो रहा था लेविड को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया और एक बार जब यह शब्द लोकप्रिय हो गया, तो अलग–अलग विद्वानों ने अपने–अपने ढ़ंग से इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया। रोलेन्ड रावर्डसन ने वैश्वीकरण की परिभाषा करते हुए इसे विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना बताया, मार्टिन एलब्रो के अनुसार वैश्वीकरण का मतलब उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से मानना है कि वैश्वीकरण को उन विश्वव्यापी सामाजिक रिश्तों के तीव्र होने के घटनाओं को सैकड़ों मील की दूर की घटनाओं से प्रभावित करते हैं, वैश्वीकरण की सबसे अधिक मान्य परिभाषा यह है, जो डेविड हेल्ड ने दी। उनके अनुसार वैश्वीकरण का सरल शब्दों में अर्थ विश्वव्यापी अन्तर्सम्बन्धों का व्यापक गहरा और तीव्र होना है। हेल्ड का मानना है कि वैश्वीकरण की किसी भी परिभाषा में निम्नलिखित तत्वों को समाविष्ट करना जरूरी है–व्यापकता, गहनता, लोच तथा प्रभावशीलता।

वैश्वीकरण कोई नई परिघटना नहीं है, जो बीसवीं सदी के अन्तिम पन्द्रह वर्षों में एकाएक उभरकर सामने आ गई हो, यह इतिहास में विस्तार और अन्तःक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है, जर्मन अर्थशास्त्री ए.जी. फ्रैंक वैश्वीकरण के बीजारोपण को प्राचीन युग में देखते हैं, इसी तरह अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में पुरातन विश्व में दर्शन, धर्म, भाषा, कला व संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आदान–प्रदान पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के वैश्वीकरण को बताते हैं, इतिहासकार हॉकिन्स और वाइली ने 17 वीं से 19 वीं शताब्दी के मध्य वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोटोवैश्वीकरण कहा है, इस दौर की मुख्य विशिष्टता बढ़ता हुआ व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान है, विस्तारवाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन की विधि और सूचनाओं के आदान–प्रदान के स्तर में अन्तर वे आधार हैं जिन पर प्रोटोवैश्वीकरण को आधुनिक वैश्वीकरण से अलग किया जाता है।

पूँजीवाद के युग के आगमन के साथ वस्तुओं, विचारों तथा व्यक्तियों के आवागमन में तेजी आई, 19वीं सदी के दौरान यातायात व संचार साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के कारण 20 वीं शताब्दी में और बड़े पैमाने पर आदान–प्रदान सम्भव हो सका, इसी शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों विशेषकर मोबाइल फोन और इण्टरनेट के फलस्वरूप 2010 तक विश्व के करोड़ों लोग नए रूप में एक–दूसरे के साथ जुड़ गए।

आधुनिक दौर के वैश्वीकरण का आरंभ बिन्दु प्रो0 एजाज अहमद के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति का समय है, लेकिन उनका मानना है कि अपने आरंभिक दौर में इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज नहीं थी, समाजवादी विश्व की मौजूदगी और तीसरी दुनिया के देशों में तीव्र राष्ट्रीय भावना ने वैश्वीकरण पर अंकुश लगाने का काम किया था। 1990 में समाजवादी खेमे और सोवियत यूनियन के विघटन ने तथा तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीयता की भावना के कमजोर पड़ जाने से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूर्ण तीव्रता के साथ आरंभ हो गई। वैश्वीकरण के वर्तमान रूप के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार चार आधार भूत पहलू है–व्यापार और

लेनदेन, पूँजी तथा निवेश, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना तथा ज्ञान का फैलाव, वर्तमान दौर में ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिनको वैश्वीकरण के साथ जोड़ा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण तथा समुद्र का अवदोहन आदि।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्यों को सारतः अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताना।
3. उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के अन्तर्सम्बधों का अध्ययन करना।
4. वैश्वीकरण के लाभों एवं हानियों के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करना।
5. विकासशील देशों के विकास पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।
6. वर्तमान काल में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता एवं समसामयिक मुद्दों पर इसकी भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन की पद्धतियाँ

वैश्वीकरण जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय की व्याख्या एवं अध्ययन के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस विषय के विविध आयाम है जो कि सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के है। अध्ययन की प्रकृति के अनुरूप इस विषय के अध्ययन की पद्धतियाँ वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक है।

इस विषय के अत्यधिक व्यापक होने के कारण इससे संबंधित आंकड़ों एवं सामग्री को इकट्ठा करने के लिए प्राथमिक स्त्रोतों की अपेक्षा द्वितीयक स्त्रोतों का ही अधिक प्रयोग किया गया है।

वैश्वीकरण की अवधारणा

समकालीन विश्व में नव–उदारवाद की प्रेरणा से तीन नीतियों को अपनाया जा रहा है, जो एक दूसरे के साथ निकट से जुड़ी हैं– उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इन प्रक्रियाओं को मिलाकर आर्थिक सुधार कहा जाता है।

उदारीकरण वह नीति है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता और उससे मिलने वाले लाभ की अधिकतम वृद्धि के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबंध और नियंत्रण हटा दिए जाते हैं, या उनमें ढ़ील दे दी जाती है ताकि बाजार की शक्तियों को बेरोक–टोक काम करने दिया जाए। इसके साथ यह विश्वास जुड़ा है कि आर्थिक गतिविधि में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मांग और पूर्ति तथा मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम को काम करने देना चाहिए। साथ ही व्यापारियों के लिए निजी लाभ और कामगारों के लिए प्रोत्साहनों की विस्तृत गुजांइश रखनी चाहिए।

इस नीति के अंतर्गत व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को कम करने की कोशिश की जाती है। उदारीकरण के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने से व्यक्ति स्वयं परिश्रम से विमुख हो जाते हैं और राज्य के संसाधनों पर भी जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है। जो लोग अपनी सूझ–बुझ और कठिन परिश्रम के बल पर राज्य की समृद्धि को बढ़ाते हैं, उन पर करों का बोझ बहुत बढ़ जाता है और वे भी परिश्रम से विमुख हो सकते हैं। अतः सब तरह के लोगों को परिश्रम की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य की कल्याणकारी सेवाओं को सीमित करना जरूरी है।

निजीकरण या गैर सरकारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को अर्थात् किन्हीं विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण को सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण से हटाकर निजी या गैर–सरकारी क्षेत्र को उनका स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है, ताकि उसकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके, उससे होने वाली वित्तीय हानि को रोका जा सके, उससे होने वाली वित्तीय हानि को रोका जा सके, उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिकतम परिश्रम की ओर प्रेरित किया जा सके, राज्य के बोझ को कम किया जा सके और राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाया जा सके।

वैश्वीकरण के अंतर्गत उत्पादन, विपणन और सेवाओं का जाल बिछाने तक के किसी भी कार्य को विश्व के किसी भी कोने में संपन्न किया जा सकता है। जहाँ उसकी लागत सबसे कम आए, उसकी गुणवत्ता उन्नत की जा सके और जहां उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो वहां उसे सम्पन्न करने की अनुमति और सुविधाएं प्राप्त हों।

वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं

भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ जुड़ी हुई है, जिसे पी.वी. नरसिम्हाराव द्वारा 1991 में अपनाया गया था तथा जो एलपीजी के नाम से लोकप्रिय है (एलपीजी–लिबरेलाइजेशन, प्राइवेटिजेशन, ग्लोबलाइजेशन) वैश्वीकरण वास्तव में कॉस्मोपोलिटन जीवन पद्धति के उद्‌भव का आधार है जो वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था तथा विश्व गांव की अवधारणा को साकार कर रहा है। यह अवधारणा मार्शल मैक्लुहान ने प्रस्तुत की है।

वैश्वीकरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (1998) में विचार–विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र नामक पत्रिका में छापा गया। इसके अनुसार वैश्वीकरण बहुलवादी है जो संपूर्ण संसार की विभिन्नताओं का समावेश करता है। इसका प्रथम प्रयोग ईयानी एवं रॉबर्टसन ने एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में किया था। अतः इन्हें इसका जनक माना जा सकता है। मैलकम वाल्टर्स ने अपनी पुस्तक 'ग्लोबलाइजेशन (1988) में लिखा है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतक्रियाओं का पर्याप्त समावेश होता है। इसमें भूगोल तथा राष्ट्रीय सीमाओं के दबाव और बंधन धूमिल हो जाते हैं। यहां सब कुछ खुला हुआ है।

स्टुअर्ट हाल ने वैश्वीकरण में पाए जाने वाले द्वैतों की चर्चा की है– सार्वभौमिक–विशिष्ट, सजातीयता–विभेदीकरण, एकीकरण–विखंडन, केन्द्रीयकरण–विकेन्द्रीकरण, सानिध्यता–समन्वयता इत्यादि। विश्व व्यापार, अंतराष्ट्रीय श्रम विभाजन, बहुराष्ट्रीय उद्यम, प्रवासी श्रमिक वर्ग का अंतर्राष्ट्रीयकरण इत्यादि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं।

वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने भौतिक एवं भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। अब प्रत्येक क्षेत्र में हम सम्मिलन देख सकते हैं। दूरियां मिट चुकी हैं, चारों ओर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर दस्तक दे रही है। वैश्वीकरण के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा खुली और ज्यादा गहनता से जुड़ गई है।
2. वैश्विक व्यापार में भारी वृद्धि हुई है।
3. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह ज्यादा तीव्रतर हो गए हैं।
4. विचार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक तत्वों का आदान–प्रदान उच्चतर गति से होता है।
5. वस्तुओं और सेवाओं का भारी मात्रा में आदान–प्रदान होता है।
6. आदान–प्रदान की जा रही वस्तुओं में भारी विविधता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई सेवाओं का प्रवेश हुआ है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय वास्तुकार अफ्रीका देशों में किसी भवन की अभिकल्पना कर सकता है ओर कोई जापानी वास्तुकार फ्रांस या खाड़ी देशों में भवन की संकल्पना कर सकता है।
8. इंटरनेट और मोबाइल फोन ने विश्व भर में कहीं भी तत्काल संप्रेषण संभव कर दिया है। इससे समाजों के ज्ञान की अभिवृद्धि और विकास की गति बढ़ी है। पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है।
9. वैश्वीकरण को आर्थिक विकास के घटक के तौर पर देखा जाता है, पर यह देशों के बीच एवं घरेलू स्तर पर आमदनी के अंतर को बढ़ाने, गरीबी बढ़ाने और पर्यावरणीय अवक्रमण को गहरा करने के लिए जाना जाता है।

वैश्वीकरण के लाभ

आधुनिक वैश्वीकरण के आरंभ होने के साथ ही एक बहस चली आ रही है कि यह मानव समाज के लिए अच्छा है या नहीं, अर्थशास्त्रियों और विद्वानों, राजनीतिक नेताओं और विकसित देशों के नेताओं की एक बड़ी संख्या और उनके अनुयायी वैश्वीकरण का जोरशोर के साथ समर्थन करते हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों और नव–उदारवादी आर्थिक सुधारों की हिमायत करने वालों का तर्क है कि पूँजी और वस्तुओं के व तकनीक के स्वतंत्र संचरण से चतुर्मुखी आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पाद को भारी प्रोत्साहन मिलता है, इस संदर्भ में वह पिछले तीन दशक में चीन के द्वारा की गई आर्थिक प्रगति को एक प्रमाण के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि वैश्वीकरण को अपनाने से ही चीन का यह विकास सम्भव हो सका। निक गिब्सन वैश्वीकरण के अन्य लाभों की सूची पेश करते हुए कहते हैं कि वैश्वीकरण के अन्य लाभों की सूची पेश करते हुए कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण छोटे उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास हुआ, जो अब सम्पूर्ण विश्व के नए बाजारों में पहुँच रही हैं और इसके फलस्वरूप देशों और महाद्वीपों में यातायात और संचार सम्बध बढ़े हैं।

वैश्वीकरण के नुकसान

वैश्वीकरण के जिन लाभों को ऊपर गिनाया गया है, यह वो लाभ है जो सिद्धान्त में ज्यादा और व्यवहार में कम पाए जाते हैं स्वयं गिब्सन को यह स्वीकार करना पड़ा है कि जहाँ वैश्वीकरण की अनेक विशेषताओं से लाभ होता है वहीं पर दूसरी विशेषताएं देशों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए समस्याएं पैदा करने का काम करती हैं, अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए गिब्सन ने लिखाा है कि वैश्वीकरण से सबसे बड़ा खतरा यह है कि अल्पविकसित देशों की अर्थ–व्यवस्थाओं को इससे भारी नुकसान होता है, मुक्त व्यापार सभी देशों को एकसमान स्तर पर रखने का काम करता है, जिसका मतलब विकसित देशों को लाभ और अल्प विकसित देशों को नुकसान होता है।

वैश्वीकरण एक वहनीय अर्थव्यवस्था नहीं है, वैश्वीकरण की जीवनदायी शक्ति बाजार का विकास है, पूँजी के विस्तार और सम्पत्ति के संकेन्द्रण का परिणाम यह है कि विश्व के पैमाने पर भयंकर रूप से गरीबी का विस्तार हो रहा है, गरीबी के बढ़ने का मतलब होता है क्रय शक्ति का अभाव तथा बाजार का सकुचित होना, जिसके चलते अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ता है फलस्वरूप आर्थिक संकट आते हैं, और यह संकट अंततः वैश्वीकरण की व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के गुण–दोषों पर निष्पक्ष विचार करके इसका संतुलित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के आलोचक यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण ने निर्धनता को मिटाया नही है, बल्कि उसे कायम रखा है। इसने आर्थिक विषमताओं को बढ़ाया है। पर्यावरण को प्रदूषित किया है। असहिष्णुता को बढ़ावा

दिया है। सैन्यवाद को सहारा दिया है। समुदायों को विखंडित किया है और उपाश्रित वर्गों की दशा पहले से भी दयनीय बना दी है। दूसरी ओर, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण 1945 के बाद विश्व की प्रति व्यक्ति आय तिगुनी हो गई है। विश्व की जनसंख्या में अतिनिर्धन लोगों का अनुपात आधा रह गया है। पर्यावरण के प्रति सजगता बढ़ी है और निरस्त्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बना है। इससे विकासशील देशों के युवा वर्ग को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल प्रेरणा मिली है, बल्कि उपयुक्त अवसर भी मिले हैं। फिर इससे उपाश्रित वर्गों को अपने भूमंडलीय संगठन बनाने की प्रेरणा मिली है और वे यह अनुभव करने लगे हैं कि वे भूमंडलीय प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं इन वर्गों ने अपने आपको भूमंडलीय संस्कृति के साथ जोड़ कर अपनी नई पहचान बनाई है, जिससे उन्हें स्थानीय शक्तियों के प्रभुत्व से कुछ हद तक मुक्ति मिली है।

आज पूरी दुनिया तेज गति से बदल रही है, इसलिए परिवर्तन को शंका की दृष्टि से देखना गलत है, नहीं तो अलग–अलग पड़ जाओगे। इस संदर्भ में थियोडोर लेविट ने लिखा है कि ''हमें वैश्वीय तरीके से सोचना चाहिए और हमारे काम करने के तरीके स्थानीय (देशी) होने चाहिए।''

संदर्भ सूची :

1. दूबे, अभय कुमार, भारत का भूमंडलीकरण, 2008.
2. पंत, पुष्पेष, भूमंडलीकरण एवं भारत, एसेस पब्लिशिंग, 2016.
3. गौतम, पुष्पराज, गौतम, विद्यापति, भूमंडलीकरण के दौर में श्रम एवं रोजगार की चुनौतियां, 2016.
4. रॉडरीक, दानी, दा ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स, डब्ल्यू, डब्ल्यू नारटन एण्ड कम्पनी, 2012.
5. स्टिलिग्ज, जोसेफ, ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकंटेन्ट, पेंगुइन इण्डिया, 2012.
6. सिकदर, सौमेन, कंटेम्परेरी इश्यू इन ग्लोबलाइजेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006.